15.07.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हुनरसिंह देवड़ा उपस्थित। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्त श्री वीरेन्द्र एम. चौहान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो से चार के अधिवक्ता श्री परिक्षित खरौर उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व अपील संख्या 01/2021, वाद संख्या 38/18 व वाद सं. 29/20 में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता श्री महेन्द्र गहलोत उक्त प्रकरणों में हितबद्ध पक्षकार है तथा सहायक कलक्टर न्यायालय शिवगंज व सुमेरपुर में प्रतिदिन पैरवी हेतु आते रहते है और प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को उक्त प्रकरणों में अपना स्वयं का हित निहित होने का कहकर प्रभावित करते है तथा उक्त प्रकरण विधि व उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध निर्णय करने हेतु अन्तिम बहस पर पत्रावली नियत कर दी है। अतः उक्त प्रकरण के निष्पक्ष निस्तारण हेतु सहायक कलक्टर शिवगंज न्यायालय से अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करावें। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि उक्त प्रकरण अन्तिम बहस के स्तर पर है, जिसमें प्रार्थी को अभी तक 12 अवसर दिए जा चुके है, इसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा अन्तिम बहस ना कर देरीना के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं इस प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय स्थानांतरित किए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि सहायक कलक्टर शिवगंज का स्थानान्तरण हो जाने से यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

अनवान

जितेन्द्रसिंह बनाम महेन्द्र गहलोत व अन्य

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध सहायक कलक्टर न्यायालय शिवगंज में विचाराधीन राजस्व अपील संख्या 01/2021, वाद संख्या 38/18 व वाद सं. 29/20 को अधीनस्थ न्यायालय (सहायक कलक्टर, शिवगंज) से अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु पेश किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व अपील संख्या 01/2021, वाद संख्या 38/18 व वाद सं. 29/20 में अधिवक्ता श्री महेन्द्र गहलोत उक्त प्रकरणों में हितबद्ध पक्षकार है तथा सहायक कलक्टर न्यायालय शिवगंज व सुमेरपुर में प्रतिदिन पैरवी हेतु आते रहते है और प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को उक्त प्रकरणों में अपना स्वयं का हित निहित होने का कहकर प्रभावित करते है तथा प्रकरणों को अपने पक्ष में निर्णित करने का दबाव बनाते है तथा उक्त प्रकरणों में भी विधि व उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध निर्णय पारित करना चाहते है। चूंकि न्यायपालिकाओं में आपसी सम्बन्धों से परे जाकर साक्ष्य एवं दस्तावेज के अवलोकन एवं गुणावगुण के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है। अतः प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थी से आपसी सम्बन्ध होने के कारण न्याय की उम्मीद नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी को अप्रार्थी अधिवक्ता श्री महेन्द्र गहलोत द्वारा प्रभावित करने का कथन किया गया है, उनका अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं भी होता है, तो वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही